कार्यालय जिला पंचायत, लखनऊ

पत्रांक 1251 / नक्शा / नि0वि0 / जि0पं0 / 2016–2017 दिनांक 30 मार्च, 2017

मेगा कालोनाइजर्स एण्ड लैण्ड डेवलपर्स
प्रो0 श्री जावेद इकबाल
ग्राम गौरा
विकास खण्ड–मोहनलालगंज
तहसील–मोहनलालगंज
जनपद लखनऊ।

आपके प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न मानचित्र पर समयक विचारोपरान्त मा0 अध्यक्ष जी के द्वारा दिनांक 24.03.2017 में मानचित्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

ग्रामसभा गौरा विकास खण्ड मोहनलालगंज तहसील मोहनलालगंज जनपद लखनऊ के खसरा संख्या 2450, 2451 में प्लाटिंग तथा व्यवसायिक एवं रोहाउसिंग कार्य हेतु कुल कवर्ड एरियां 10721.29 वर्गमीटर में मानचित्र की स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों सहित दी जाती है।

1–प्रस्तावित भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय तथा निर्माणाधीन अवधि में कोई भी निर्माण सामग्री मार्ग पर एकत्र न की जाये।
2–जल–मल की निकासी मार्ग की ओर न की जाये।
3–मख्य मार्ग के मध्य से बिन्दु से निर्माण स्थल की प्रतिबधित दूरी के सम्बन्ध में रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल रूल्स 1965 के नियम–7 यथावत् लागू रहेगें।
4–प्रतिबन्ध रहेगा कि भवन का निर्माण कार्य कुल कवर्ड एरियां 10721.29 वर्गमीटर में ही निर्माण कराया जाये।
5–चूंकि आप द्वारा व्यवसायिक भवन का निर्माण कार्य कराया जाना है, अतः प्रतिबन्ध रहेगा कि अग्नि शमन व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
6–प्रतिबन्ध रहेगा कि दो वर्ष के अन्दर कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्य पूर्ण प्रमाण पत्र कार्यालय जिला पंचायत, लखनऊ से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
7–भवन का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व स्ट्रक्चरकल डिजाइन ड्राइंग बनवाकर ही निर्माण कार्य प्रारम्भ करेगें, अन्यथा की दशा में स्वयं उत्तरदायी होगे।

बिना किसी पूर्व सूचना के नक्शें / भवन में किसी भी प्रकार का परिवर्धन / परिवर्तन नहीं किया जायेगा। यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन / परिवर्धन भवन / मानचित्र में प्रस्तावित है, तो जिला पंचायत लखनऊ से स्वीकार किये बिना परिवर्तन / परिवर्धन नही किया जायेगा। भू–स्वामित्व एवं किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में जिला पंचायत, लखनऊ उत्तरदायी नहीं होगी।

अनुमोदित मानचित्र किसी भी दशा में स्वामित्व का अभिलेख नहीं माना जायेगा।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, लखनऊ।